तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं.20/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
23.2.2022	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल मोहम्मद सोहिल पुत्र हिफजु रहमान, जाति– मुसलमान, निवासी– छोटी मस्जिद के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थिजत। गैरसायल की ओर से वकील श्री जगदीश कुमार उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आरपीजीओं के मुकदमों में गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 27.8.2021 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल मोहम्मद सोहिल पुत्र हिफजु रहमान, जाति–मुसलमान, निवासी– छोटी मस्जिद के पास, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़, के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत कुल 13 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें संबंधित न्यायालय में गैरसायल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा इन मुकदमों में गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया गया है। जिनमें से अपराध संख्या 149 दिनांक 10.8.2021 व 166 दिनांक 27.8.2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्रों की छाया प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 149 दिनांक 10.8.2021 व 166 दिनांक 27.8.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 06.9.2021 व 27.9.2021 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 27.8.2021 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों ए[illegible]यों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अ[illegible] सिरोही [illegible] इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल [illegible] रहमान, जाति– .....लगातार	

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:05 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं.20/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मुसलमान, निवासी– छोटी मस्जिद के पास, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। (के.आर.खौड) अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:05 IST
Reason: SelfAttested